<u>न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट</u>

<u>मुकदमा नम्बर :– 73/2018</u> (आर.सी.एम.एस.नम्बर 2018/00117)

1. राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी, थाना निहालगंज—————————— प्रार्थी।

<u>बनाम</u>

1. नीरज ऊर्फ रामू पुत्र महावीर प्रसाद जैन जाति वैश्य निवासी राबतान गली थाना निहालगंज शहर धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर ——————————अप्रार्थी।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए</u>
<u>आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955</u>

<u>उपस्थिति : –</u>

1. प्रार्थी की ओर से :– श्री दिव्या कमठान, सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
2. अप्रार्थी की ओर से :– श्री कुसुमाकर गर्ग अभिभाषक ।

<u>निर्णय दिनांक 17.12.2018</u>

<u>निर्णय</u>

थानाधिकारी थाना निहालगंज ने एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि 16.5.2005 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर को मुखबिर खास ने इत्तला दी कि शहर धौलपुर में बडे सिलेण्डरों से अवैध रूप से छोटे सिलेण्डरों में गैस भरकर बेची जा रही है इस सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय अपने स्टाफ ने इंगित जगहों पर भेजा दुकान जैन बैल्डिंग बर्क्स सन्तर रोड धौलपुर में निगरानी हेतु राजेश पाठक एस आई को मय जाप्ते के भेजा गया अन्य जगहों से कार्यवाही करता हुआ प्रार्थी दुकान जैन बिल्डग बर्क्स पहुँचा तो वहॉ पर राजेश पाठक उप निरीक्षक मय जाप्ते के उपस्थित मिले जिन्होनें बताया कि हमने इस दुकान से किसी को अन्दर व बाहर नहीं जाने दिया है दुकान पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम नीरज ऊर्फ रामू पुत्र महावीर प्रसाद जैन जाति वैश्य निवासी राबतान गली थाना निहालगंज धौलपुर बताया व खुद को इस दुकान का मालिक बताया दुकान पर रखे कुल 58 गैस सिलेण्डर व बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर में गैस भरने के उपकरण रिफिल जो उसकी दुकान पर रखे हुये है के सम्बन्ध में कोई अनुज्ञा पत्र बावत पूछा गया तो इन्कार किया पूछने पर बताया कि बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर में गैस भरकर बेचता है। इसकी दुकान पर बडे सिलेण्डर एच. पी. कम्पनी के 14.2 कि.ग्राम. गैस वाले जिसमें तीन भरे हुये जिन्हें दुकान पर ही कांटे बांट पर तोला गया तो सिलेण्डर नम्बर 577506 गैस से भरा हुआ है का बजन 14.2.किग्रा. सिलेण्डर नम्बर 189125 भरा हुआ बजन 14.2. कि.ग्रा. सिलेण्डर नम्बर 434966 जिसमें बजन 5 कि.ग्रा. है सिलेण्डर नम्बर 733061 एवं 733855 खाली है। 44 सिलेण्डर पॉच लीटर वाले हैं जिनमें दो में गैस

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

भरी हुई है दुकान पर ही बजन तौला तो एक सिलेण्डर जिस पर सतारा बजाज का स्टीकर लगा है में गैस का बजन एक किलो 300 ग्राम व दूसरे पॉच लीटर बिना स्टीकर के सिलेण्डर में बजन 700 ग्राम गैस का मिला अन्य 42 पॉच लीटर वाले गैस सिलेण्डर खाली है दो लीटर वाले नौ गैस सिलेण्डर खाली मिले । भरे हुए सिलेण्डरों को शील्ड चिट कर मार्क कमशः ए बी सी डी दिया गया खाली सिलेण्डरों को कमशः 1 से 53 दिया गया दुकान से मिले सात रिफिल बडे सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरो में भरने के उपकरण जो कि पीतल के है शील्ड कर मार्क आर दिया गया फर्द जब्ती प्रथक से तैयार की गई।

अप्रार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 113/2005 दफा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दर्ज कर तफतीश भगवान सिहं उप निरी. ने की गई दौराने तफतीश बयानात गवाहान लिये गये घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका कसीद किया गया दौराने तफतीश जिला रसद अधिकारी से आरपीपीएल का लाईसेन्स बावत पूछा गया तो कोई लाईसैन्स नहीं होना बताया गया शिवेन गैस एजेन्सी से तफतीश की गई इस प्रकार सम्पूर्ण हासला तफतीश बयानात गवाहान निरीक्षण घटनास्थल फर्दजप्ती नक्शा मौका फर्द गिरफतारी मुलजिम फर्द इत्तला मुलिजम व प्राप्त शुदा रिर्पोटो से अप्रार्थी द्वारा एल पी जी गैस वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 की धारा 3 (1) (ई) 6–7 का उल्लघंन करना पाया गया जो धारा 3/7 ई सी एक्ट में दण्डनीय है। धारा 3/7 ई सी एक्ट का जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर चार्टशीट नम्बर 97/05 दिनांक 31.7.2005 किता की जाकर चालान न्यायालय सी जे एम धौलपुर में पेश किया । माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.11.2016 को निर्णय कर अप्रार्थी को उक्त प्रकरण में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है। प्रकरण में जप्तशुदा माल को धारा 6 ए आवश्ययक वस्तु अधिनियम के तहत निस्तारण के आदेश दिये जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया कि उसे इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में आकर पेश करे।

अप्रार्थी की ओर से श्री कुसुमाकर गर्ग अभिभाषक ने अपना बकालतनामा पेश किया जिसके तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी की कभी भी कोई दुकान नहीं रही है। ना ही अप्रार्थी के कोई गैस सिलेण्डर जब्त हुए है। जब्त शुदा सिलेण्डरों को अप्रार्थी द्वारा कभी भी अपना होना क्लेम नहीं किया । अगर न्यायालय सिलेण्डरों को राजसात करना चाहे तो अप्रार्थी को आपत्ति नही है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ फर्द जब्ती दिनांक 16.5.2005 की फोटो प्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.5.2005 एफ.आर रिर्पोट 31.7.05 की फोटो प्रति, माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट धौलपुर के निर्णय दिनांक 10.11.2016 की फोटो प्रति, पेश की।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी अवैध रूप से बडे सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग कर जनता को बेचता है । अप्रार्थी की दुकान पर बडे सिलेण्डर एच. पी. कम्पनी के 14.2 कि.ग्राम. गैस वाले जिसमें तीन भरे हुये जिन्हें दुकान पर ही कांटे बाट पर तोला

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

गया तो सिलेण्डर नम्बर 577506 गैस से भरा हुआ है का बजन 14.2.किग्रा. सिलेण्डर नम्रब 189125 भरा हुआ बजन 14.2. कि.ग्रा. सिलेण्डर नम्बर 434966 जिसमें बजन 5 कि. ग्रा. है सिलेण्डर नम्बर 733061 एवं 733855 खाली है। 44 सिलेण्डर पॉच लीटर वाले हैं जिनमें दो में गैस भरी हुई है दुकान पर ही बजन तौला तो एक सिलेण्डर जिस पर सतारा बजाज का स्टीकर लगा है में गैस का बजन एक किलो 300 ग्राम व दूसरे पॉच लीटर बिना स्टीकर के सिलेण्डर में बजन 700 ग्राम गैस का मिला अन्य 42 पॉच लीटर वाले गैस सिलेण्डर खाली है दो लीटर वाले नौ गैस सिलेण्डर खाली मिले । गैस बेचने व रखने का लाईसैंस परमिट पूछा तो नहीं होना जाहिर किया अप्रार्थी का यह कृत्य धारा 3/7 आवश्यक अधिनियम की तारीफ में आना पाया जाता है । जिला रसद अधिकारी से आरपीपीएल का लाईसेन्स बावत पूछा गया तो कोई लाईसैन्स नहीं होना बताया गया शिवेन गैस एजेन्सी से तफतीश की गई इस प्रकार सम्पूर्ण हासला तफतीश बयानात गवाहान निरीक्षण घटनास्थल फर्दजप्ती नक्शा मौका फर्द गिरफतारी मुलजिम फर्द इत्तला मुलिजम व प्राप्त शुदा रिर्पोटो से अप्रार्थी द्वारा एल पी जी गैस वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 की धारा 3 (1) (ई) 6-7 का उल्लघंन करना पाया गया जो धारा 3/7 ईसी एक्ट में दण्डनीय है। प्रकरण में जप्तशुदा माल को धारा 6 ए आवश्ययक वस्तु अधिनियम के तहत नियमानुसार राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे ।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अकिंत तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थी की कभी भी कोई दुकान नहीं रही है। ना ही अप्रार्थी के कोई गैस सिलेण्डर जब्त हुए है। जब्त शुदा सिलेण्डरों को अप्रार्थी द्वारा कीाी भी अपना होना क्लेम नहीं किया । अगर न्यायालय सिलेण्डरों को राजसात करना चाहे तो अप्रार्थी को आपत्ति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी अवैध रूप से बडे सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग कर जनता को बेचता है । अप्रार्थी की दुकान की तलाशी लेने पर दुकान में बडे सिलेण्डर एच. पी. कम्पनी के 14.2 कि.ग्राम. गैस वाले जिसमें तीन भरे हुये जिन्हें दुकान पर ही कांटे बांट पर तोला गया तो सिलेण्डर नम्बर 577506 गैस से भरा हुआ है का बजन 14.2.किग्रा. सिलेण्डर नम्बर 189125 भरा हुआ बजन 14.2. कि.ग्रा. सिलेण्डर नम्बर 434966 जिसमें बजन 5 कि.ग्रा. है सिलेण्डर नम्बर 733061 एवं 733855 खाली है। 44 सिलेण्डर पॉच लीटर वाले हैं जिनमें दो में गैस भरी हुई है दुकान पर ही बजन तौला तो एक सिलेण्डर जिस पर सतारा बजाज का स्टीकर लगा है में गैस का बजन एक किलो 300 ग्राम व दूसरे पॉच लीटर बिना स्टीकर के सिलेण्डर में बजन 700 ग्राम गैस का मिला अन्य 42 पॉच लीटर वाले गैस सिलेण्डर खाली है दो लीटर वाले नौ गैस सिलेण्डर खाली मिले । अप्रार्थी बिना लाईसैंसी अवैध रूप से गैस सिलेण्डर रखने एवं बडे सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस भरने का कृत्य करता है । जब्तशुदा सिलेण्डर अप्रार्थी की दुकान से मिले हैं तथा वक्त निरीक्षण अप्रार्थी बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डरों में गैस भरता पाया गया अतः अप्रार्थी का यह कहना कि जब्तशुदा सिलेण्डर उसके नहीं हैं सिद्ध नहीं होता है। जब्तशुदा सिलेण्डर अप्रार्थी के ही है। माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट ने अपने निर्णय दिनाक 10.11.2016 में जप्तशुदा माल को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नियामानुसार निस्तारण के आदेश दिये हैं ।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा बडे सिलेण्डर एच. पी. कम्पनी के 14.2 कि.ग्राम. गैस वाले जिसमें तीन भरे हुये जिन्हें दुकान पर ही कांटे बांट पर तोला गया तो सिलेण्डर नम्बर 577506 गैस से भरा हुआ है का बजन 14.2.किग्रा. सिलेण्डर नम्बर 189125 भरा हुआ बजन 14.2. कि.ग्रा. सिलेण्डर नम्बर 434966 जिसमें बजन 5 कि.ग्रा. है सिलेण्डर नम्बर 733061 एवं 733855 खाली है। 44 सिलेण्डर पॉच लीटर वाले हैं जिनमें दो में गैस भरी हुई है दुकान पर ही बजन तौला तो एक सिलेण्डर जिस पर सतारा बजाज का स्टीकर लगा है में गैस का बजन एक किलो 300 ग्राम व दूसरे पॉच लीटर बिना स्टीकर के सिलेण्डर में बजन 700 ग्राम गैस का मिला अन्य 42 पॉच लीटर वाले गैस सिलेण्डर खाली है दो लीटर वाले नौ गैस सिलेण्डर खाली मिले को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खाद्य विभाग जयपुर से प्राप्त परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6 ए के तहत न्यायालय द्वारा राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है तथा जिनका पुनः उपयोग बिना ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। ऐसे सभी सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त या राजसात किये गये हैं को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे। गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता। न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही करेगी। इस हेतु ऑयल कम्पनी से कोई राशि वसूल नहीं की जानी है। परन्तु ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धनराशि ऑयल कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। थाना अधिकारी थाना निहालगंज व जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह जब्त शुदा माल का नियमानुसार निस्तारण करावे। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना हेतु थाना अधिकारी थाना निहालगंज व जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो । नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एन. एम. पहाडिया)
जिला कलक्टर, धौलपुर